न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 61/2025

डूंगरराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन रववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बज्जू।
2. महावीर प्रसाद पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.......अप्रार्थी

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमरतन बिश्नोई उपस्थित
2. राजपेरोकार स्टेट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.12.2025

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु प्रार्थी डूंगरराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन रववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पटवार हल्का रववाला तहसील बज्जू के चक 26 डीओबबी के मुरबा नं 234/17 के किला नं 6/1 में 0.1265 हैक्टेयर कमाण्ड, किला नं 15 ता 19 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टेयर कमाण्ड व मुरबा नं 234/18 के किला नं 10, 24 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टेयर कमाण्ड कुल तादादी 1. 8968 कमाण्ड स्थित है, जो कि प्रार्थी को उक्त भूमि जरिये खाता विभाजन से प्राप्त हुई है तथा उक्त खाता विभाजन का नामान्तरण सं 47 दिनांक 21.10.2021 आधार जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रार्थी खाता विभाजन से प्राप्तज उपरोक्त खातेदारी भूमि पर आज दिनांक तक निरंतर परिवार सहित काबिज काश्त है। प्रार्थी को जरिये खाता विभाजन से प्राप्त उपरोक्त भूमि सेरीग्रेशन के दौरान ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय चक 26 डीओबीबी के मुरबा नं 234/18 के किला नं 10 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज कर दी गई, जिसे दुरूस्त कर प्रार्थी के खाते में दर्ज रिकॉर्ड किया जाना अतिआवश्यक है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा की गई उक्त लापरवाही के कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज हो गई तथा उसी अनुसार प्रार्थी के खाता सं. 19 व अप्रार्थी के खाता सं. 36 की भूमि पर बैंक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा रववाला द्वारा केसीसी ऋण स्वीकृत किये जाने पर उक्त भूमि खाता सं. 19 जरिये नामनन्तरण सं. 60 दिनांक 26.03.2023 व खता सं. 36 जरिये नामान्तरण सं. 63 दिनांक 07.04.2023 रहन दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दी गई जिसे मुताबिक राजस्व रिकार्ड आधार जमाबंदी अनुसार दुरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि चक 26 डीओबीबी के मुरबा नम्बर 234/18 के किला नम्बर 10 रकबा 0.2529 हैक्टैयर कमाण्ड जो कि सेरिग्रेसन के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज हो गया है, को मुताबिक आधार जमाबंदी के अप्रार्थी संख्या 2 के खते से पुनः अपने खाता सं. 19 में दर्ज करवा रिकार्ड दुरस्त करवाना चाहता है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी जब अपने खाते की केसीसी लिमिट बढ़ाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो सर्वप्रथम उसे दिनांक 17.04.2025 को अपने खाते के गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त हुई, वब प्रार्थी द्वारा तुरन्त नकल इत्यादि प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में जमाबंदी, नामान्तरण की प्रति आदि दस्तावेज पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकाराज ने अपने जवाब में दुरूस्ती पर कोई आपत्ति नहीं की व अपनी तरफ से सहमति प्रदान की गई। प्रार्थी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबूत के रूप में जमाबंदी, नामान्तरण की प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 26 डीओबीबी के मुरबा नम्बर 234/18 के किला नम्बर 10 रकबा 0.2529 है. कमाण्ड जो कि सेरिग्रेसन के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज हो गया है, को मुताबिक आधार जमाबंदी के अप्रार्थी संख्या 2 के खाते से पुनः अपने खाता सं. 19 में दर्ज करवाने बाबत् निवेदन किया।

अतः पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 26 डीओबीबी के मुरबा नम्बर 234/18 के किला नम्बर 10 रकबा 0.2529 है. कमाण्ड जो कि सेरिग्रेसन के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज हो गया है, को मुताबिक आधार जमाबंदी के अप्रार्थी संख्या 2 के खाते से पुनः अपने खाता सं. 19 में दर्ज कर दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तददानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड में अंकन करे। तहसीलदार भू.अ. बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर